

## OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), U.P., PRAYAGRAJ कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

NO. Exam/SAS/RA/I/CPD Examination 1&2/2025/ 53925

दिनांकः- 26 .12.2025

## Office Order (कार्यालय आदेश)

Examination wing at Hqrs office vide letter No. 612/26- Exam/SAS Etc. Exam/2025 dated 19.12.2025 has intimated that the SAS/RA/I/CPD-I, II & III examinations of Examination-2 of 2025, will be conducted from 28.01.2026 to 01.02.2026.

मुख्यालय के परीक्षा विंग ने पत्र संख्या 612/26- Exam/SAS Etc. Exam/2025 दिनांक 19.12.2025 के द्वारा सूचित किया है कि 2025 की SAS/RA/I/CPD-I, II और III परीक्षा-2 दिनांक 28.01.2026 से 01.02.2026 तक आयोजित की जाएंगी।

As per Hqrs Circular No. 6/NGE/2010 issued vide letter No. 327/NGE(APP)/09-2009/Vol.1 dated 25.03.2010, all the SAS candidates are eligible to avail two spells of 15 working days Preparatory Training in his/her career. The said training would be aimed at facilitating the candidates in their preparation for the examination and subject to the following terms & conditions: -

उक्त के क्रम में पत्र संख्या 327/एनजीई (एपीपी)/09-2009/वॉल्यूम 1 दिनांक 25.03.2010 के माध्यम से जारी मुख्यालय परिपत्र संख्या 6/एनजीई/2010 के अनुसार, सभी एस.ए.एस. अभ्यर्थी अपने कैरियर में 15 कार्य दिवसीय प्रशिक्षण के दो चरणों (Spells) का लाभ उठाने के लिए पात्र हैं। इस प्रशिक्षण का उद्देश्य अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी में सुविधा प्रदान करना है। उक्त प्रशिक्षण निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन होगा:

(a) No Official work/duties would be entrusted to the candidates during the preparatory training.

प्रिशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को कोई आधिकारिक कार्य/कर्तव्य नहीं सौंपा जाएगा ।

(b) The candidates would not be allowed to leave their Headquarters during the preparatory training.

प्रशिक्षण के दौरान अभ्यर्थियों को अपना मुख्यालय छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(c) The candidates shall mark their attendance in the Biometric Machines/AEBAS in the morning and evening during the period of Preparatory training.

प्रशिक्षण की अवधि के दौरान अभ्यर्थींगण सुबह और शाम बायोमेट्रिक मशीनों/AEBAS में अपनी उपस्थिति दर्ज करेंगे।

Therefore, it is brought to the notice of all SAS Candidates who have registered online in Examination 2 of 2025, and are desirous of availing the Preparatory Training facility in the 1st or 2nd Spell of their career, and abide by the above terms and conditions, are required to apply through their respective Branch officers, to the Exam Section, O/o the AG (A&E), U.P., Prayagraj in writing in the following proforma, latest by 30.12.2025. Candidates who had already availed two spells of Preparatory Training cannot apply. No applications will be accepted after 30.12.2025.

अतः उन सभी एस.ए.एस. अभ्यर्थियों को यह सूचित किया जाता है जिन्होंने 2025 की परीक्षा-2 में ऑनलाइन पंजीकरण किया है, और अपने कैरियर के पहले या दूसरे चरण में उपर्युक्त नियमों और शर्तों का पालन करते हुये प्रारंभिक प्रशिक्षण सुविधा का लाभ उठाने के इच्छुक हैं, वे अपने संबंधित शाखा अधिकारियों के माध्यम से परीक्षा अनुभाग, कार्यालय महालेखाकार (लेखा. एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश को निम्नलिखित प्रोफार्मा में लिखित रूप में अधिकतम दिनांक 30.12.2025 तक आवेदन कर दें। जिन अभ्यर्थियों ने पहले ही दो बार प्रारंभिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया है, वे आवेदन नहीं कर सकते हैं। दिनांक 30.12.2025 के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

PACISM-II

## The Preparatory Training will commence from 06 .01.2026. दिनांक 06.01.2026 से प्रारम्भिक प्रशिक्षण आरंभ होगा।

|  | 2025 के एस. ए. एस. परीक्षा 2 हेतु प्रारम्भिक प्रशिक्षण |  |  |                 |  |
|--|--|--|--|-----------------|--|
| The second secon | एस. ए. एस. लॉग <b>इ</b> न<br>आई डी                     |  | व्यक्तिगत<br>संख्या  | संबन्धित अनुभाग | प्रशिक्षण के प्रथम चरण का उठाए<br>गए लाभ की अवधि का उल्लेख |
|  |  | The state of the s | A particular control c |                 |  |

वर् उप महिंदी खाकार (प्रशासन) तद्दिनांक

सं. SAS/RA/I/CPD Examination 1&2/2025/53926 - 5 3934

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित:-

सचिव, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

2. समस्त वर्गाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

समस्त शाखाधिकारी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

सचिव, प्रधान निदेशक, क्षेत्रीय क्षमता निर्माण एवं ज्ञान संस्थान, प्रयागराज ।

5. वरिष्ठ लेखाधिकारी/WM-II अनुभाग, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को डी.ए. कैंडर के समस्त अधिकारीयों/कर्मचारियों को सूचित करने के आशय से प्रेषित।

सहायक निदेशक/राजभाषा, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।

7. सहायक लेखाधिकारी/आई.टी.सी.जी, कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक़दारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को इंटानेट पर होस्टिंग के लिए।

प्रतिनियक्ति पर तैनात अधिकारी/कर्मचारी।

9. समस्त सूचना पट्ट ।